IFMS Uttarakhand

Print Date :08/May/2026 05:12 PM

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Chandra Misra
Reason: SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 08-05-2026 17:12:28

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026-2027)

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S26050130009

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 08-MAY-2026

लेखा शीर्षक -

4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

051 निर्माण

01 भविष्य का नगरी विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास

03 छोटे तथा मध्य वर्ग श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

04 नगरों का समेकित विकास

Voted

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	4	0	1

क्रम	मांगक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	शेष
1	53-वृहद निर्माण	0	1559300	0	1559300
	योग	0	1559300	0	1559300

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 15,59,300 (Rupees Fifteen Lacs Fifty Nine Thousand Three Hundred Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2605:0007

Approval Status : e-Sign letter

संख्या– /IV(2)-श0वि0–14(सा0)24/2026 (73101)

प्रेषक,

संतोष बड़ोनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक अप्रैल, 2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–2027 में नगर निगम, अल्मोड़ा के क्षेत्रान्तर्गत एन0टी0डी0 धार की तूनी मैग्नेसाइट के पास से वियर शिवा स्कूल होते हुए एन0टी0डी0 की ओर आने वाली सी0सी0 मार्ग के पुनर्निर्माण कार्य हेतु तृतीय/अन्तिम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 262470, दिनांक 23.12.2024 व शासनादेश संख्या 350405, दिनांक 08.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा नगर निगम, अल्मोड़ा क्षेत्रान्तर्गत **एन0टी0डी0 धार की तूनी मैग्नेसाइट के पास से वियर शिवा स्कूल होते हुए एन0टी0डी0 की ओर आने वाली सी0सी0 मार्ग के पुनर्निर्माण कार्य** हेतु रू0 74.87 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 20.856 लाख व द्वितीय किश्त 15.621 लाख इस प्रकार कुल रू0 36.477 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2– उपरोक्त के क्रम में संयुक्त निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 6324, दिनांक 23.03.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम, अल्मोड़ा के क्षेत्रान्तर्गत प्रश्नगत कार्य हेतु प्राप्त न्यूनतम निविदा रू0 74.41 लाख में से निकाय अंश रू0 22.34 लाख तथा प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि कुल रू0 36.477 लाख को घटाने के उपरान्त अवशेष तृतीय एवं अंतिम किश्त की धनराशि **रू0 15.593 लाख (रू0 पंद्राह लाख उनसठ हजार तीन सौ मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) उक्त धनराशि **कुल रू0 15.593 लाख (रू0 पंद्राह लाख उनसठ हजार तीन सौ मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर नगर निगम, अल्मोड़ा को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम/यथा प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि

File No. 050301-3ACC/A(34)/1/2026-Section 3-URBAN DEVELOPMENT DIRECTORATE (Computer No. 48339)
Generated from eOffice by Asha Jaggi, Assist Acct - Asha, ASSITANT ACCOUNTANT, URBAN DEVELOPMENT DIRECTORATE on 08/06/2026 11:51 am

राजकोष में जमा करा दी जाय।

(4) कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी एवं अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(5) स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(6) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(7) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्ठियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

(8) वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, प्रचलित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) धनराशि का दिनांक 31.12.2026 तक पूर्ण उपयोग कर, वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण, जियो टैग फोटोग्राफ्स, निकाय अंश उपयोग का प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप पर) शासन एवं शहरी विकास निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे, जिसका समस्त उत्तरदायित्व नगर निगम, अल्मोड़ा के सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(10) पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या 262470, दिनांक 23.12.2024 व शासनादेश संख्या 350405, दिनांक 08.12.2025 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक के **अनुदान सं. –13** के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–53–वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

4 – यह आदेश वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्याः 384289, दिनांक 01.04.2026 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : एलॉटमेंट आई0डी0 सं0–.....

भवदीय,

Digitally signed by
Santosh Badoni
Date: 07-05-2026
18:46:38

(संतोष बड़ोनी)
अपर सचिव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।

File No. 050301-3ACC/A(34)/1/2026-Section 3-URBAN DEVELOPMENT DIRECTORATE (Computer No. 48339)
Generated from eOffice by Asha Jaggi, Assist Acct - Asha, ASSITANT ACCOUNTANT, URBAN DEVELOPMENT DIRECTORATE on 08/06/2026 11:51 am

4. नगर आयुक्त, नगर निगम, अल्मोड़ा।
5. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 08-05-2026
16:54:34

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

File No. 050301-3ACC/A(34)/1/2026-Section 3-URBAN DEVELOPMENT DIRECTORATE (Computer No. 48339)
Generated from eOffice by Asha Jaggi, Assist Acct - Asha, ASSITANT ACCOUNTANT, URBAN DEVELOPMENT DIRECTORATE on 08/06/2026 11:51 am